

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 186]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 अप्रैल 2026 — चैत्र 25, शक 1948

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 अप्रैल 2026

अधिसूचना

क्रमांक WELF-3002/9/2024-GAD-9.— भारत के संविधान 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (सेवा संघ) नियम, 2025 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों के नियम 2 में,-

1. खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(ख) "शासकीय सेवक" से अभिप्रेत है भर्ती नियम के अंतर्गत नियमित स्थापना में नियुक्त कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसको छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होता हों।"

2. खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"(ग) "शासकीय सेवक संघ" से अभिप्रेत है ऐसा संघ, जिसके सदस्य या पदाधिकारी वर्तमान में नियमित शासकीय सेवा में सेवारत हों।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 अप्रैल 2026

क्रमांक WELF-3002/9/2024-GAD-9.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की संशोधन अधिसूचना क्रमांक WELF-3002/9/2024-GAD-9, दिनांक 15-04-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शैलाम कुमार साहू, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 15th April 2026

NOTIFICATION

No. WELF-3002/9/2024-GAD-9.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Government Servants (Service Association) Rules, 2025.

AMENDMENT

In rule 2 of the said rules,-

1. For clause (b), The following clause shall be substituted, namely :-

"(b) "Government servant" means any person appointed to a regular establishment under the recruitment rules, to whom the Chhattisgarh Civil Services (Conduct) Rules, 1965 apply"

2. After clause (b), the following clause shall be added, namely :-

"(c) "Government Servants association" means such an association whose members or office bearers are presently serving in regular government service."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AVINASH CHAMPAWAT, Secretary.